रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राज्यान्तर्गत अधिग्रहित/अर्जित रैयती एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि का दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर दिनांक–26.05.2025 को 11.00 पूर्वाह्न में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति–यथा संलग्न।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–28.04.2025 को आयोजित बैठक में हुए विमर्श के अनुसार आज दिनांक–26.05.2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे विभाग में आहूत बैठक में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में अर्जित/अधिग्रहित/हस्तांतरित रैयती एवं सरकारी भूमि के दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी सृजन के विषय पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री बी0के0 श्रीवास्तव, सहायक रक्षा सम्पदा अधिकारी, रक्षा सम्पदा कार्यालय, दानापुर, पटना, श्री अतुल कुमार, SDO, रक्षा सम्पदा कार्यालय, दानापुर छावनी, श्री विजय कुमार, Air Force Station, बिहटा एवं श्री जी0एस0 मेहरा, AFS, बिहटा उपस्थित हुए। बैठक में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार हेतु अर्जित/अधिग्रहित/ हस्तांतरित/ रैयती एवं सरकारी भूमि का दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर वांछित कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत विचार–विमर्श हुआ।

2. बैठक में **Govt. Land Mutation Portal** के माध्यम से ऑनलाईन दाखिल–खारिज हेतु आवेदन Upload करने के लिए अधिग्रहित भूमि/भू–खंड की चौहद्दी की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि/भूखंड, जिनका दाखिल–खारिज अबतक लंबित है, से संबंधित अधिघोषणा की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किये जाने का निर्णय लिया गया (अनुपालन प्रशाखा–14)।

3. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल को चार अंचलों यथा– पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल का पुनर्गठन एवं नवसृजन के उपरांत उक्त नवसृजित अंचलों में अर्जित रैयती भूमि तथा हस्तांतरित सरकारी भूमि का ऑनलाइन दाखिल–खारिज हेतु **Govt. Land Mutation Portal** पर नव सृजित अंचलों को सम्बद्ध करने हेतु विभागीय आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया जाय। (अनुपालन आई0टी0 मैनेजर एवं प्रशाखा–09A)।

4. बैठक में उपस्थित रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि से उनके विभाग के अन्तर्गत अधिग्रहित/ हस्तांतरित भूमि के बारे में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि उक्त भूमि/भूंखड से संबंधित अंचल अधिकारी से **Govt. Land Mutation Portal** पर आवेदन हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया जा सके तथा इस हेतु लाइजिनिंग वास्ते श्री बी0के0 श्रीवास्तव, सहायक रक्षा सम्पदा अधिकारी, रक्षा सम्पदा कार्यालय, दानापुर, पटना एवं श्री अतुल कुमार, SDO, रक्षा सम्पदा कार्यालय, दानापुर छावनी को नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने

हेतु अनुरोध किया गया, ताकि विभाग और अधियाची विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

बैठक में उपस्थिति रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि द्वारा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अर्जित/हस्तांतरित भूमि/भूखंड संबंधित नक्शा उपलब्ध रहने की सूचना दी गई, जिसके आलोक में अधियाची विभाग के प्रतिनिधि से उनके मंत्रालय अन्तर्गत सुसंगत संबंधित कागजात एवं अन्य सूचना, जो उन्हें उपलब्ध है, सहित एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को देने के लिए अनुरोध किया गया।

5. बैठक में उपस्थित रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के अनुसार सर्वप्रथम Air Force Station, बिहटा हेतु 142 एकड़ अर्जित भूमि का दिनांक–26.12.2024 को Govt. of India के नाम पर दाखिल–खारिज हेतु याचिका सं0–G–8/2024–25 दायर किया गया था, जो अंचल अधिकारी के स्तर पर लम्बित है। उक्त के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी से सम्पर्क किया गया। संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि संदर्भित भूमि की जमाबंदी रैयत के नाम पर ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रही है, इस कारण रैयत के खाते का खारिज एवं रक्षा मंत्रालय के नाम से दाखिल नहीं हो पा रहा है।

उक्त के आलोक में प्रशाखा–14 को निदेशित किया गया कि आवेदित भूमि/भूखंड के दाखिल–खारिज वाद का अनुश्रवण करते हुए शीघ्र अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त के क्रम में संयुक्त सचिव –सह– सहायक निदेशक, भू–अर्जन द्वारा अंचल अधिकारी, बिहटा से दूरभाष पर वार्त्ता हुई, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, बिहटा को उक्त भूमि की जमाबंदी पुनर्गठन का प्रस्ताव गठित कर सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उक्त 142 एकड़ भूमि के अलावे लगभग 700 एकड़ भूमि का भी दाखिल–खारिज हेतु आवेदन किया जाना है, जिसके अनुपालन के क्रम में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना से दूरभाष पर वार्त्ता हुई तथा उन्हें शेष भूमि का **Govt. Land Mutation Portal** पर दाखिल–खारिज हेतु कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया गया। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा दिनांक–27.05.2025 के 10.00 बजे का समय दिया गया कि अधियाची विभाग के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होकर दाखिल–खारिज हेतु आवेदन करा सके।

6. बैठक में उपस्थित रक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये – (क) दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुरगंज एवं लहेरियासराय अंचल अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय की

भूमि/भूखंड की मापी एवं दाखिल–खारिज हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को निदेशित किया जाय।

(ख) मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुशहरी अंचल अन्तर्गत भूमि/भूखंड, जो भारत सरकार के नाम पर अंकित है, में रक्षा मंत्रालय का नाम जुड़वाने तथा मापी हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया।

(ग) दरभंगा जिलान्तर्गत Air Force Station हेतु भूमि अथवा भूखंड की दाखिल–खारिज की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, परन्तु Area के Reconciliation हेतु अंचल अधिकारी, केउटी को निदेशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

(घ) गयाजी जिलान्तर्गत रक्षा मंत्रालय की वैसी भूमि, जो कैडस्ट्रल सर्वे में भारत सरकार अथवा कैसरे हिंद अंकित है, उसमें रक्षा मंत्रालय का नाम जुड़वाने, साथ ही दाखिल–खारिज किये जाने हेतु अंचल अधिकारी, गया सदर, बोधगया, शेरघाटी, बाराचट्टी, डोभी, टेकारी, बरैया को निदेशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

(च) गोपालगंज जिले के हथुआ अंचल अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय की भूमि के बारे में बताया गया कि उक्त भूमि की मापी हो गई है तथा दाखिल–खारिज हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को निदेशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

(छ) रोहतास जिले के डेहरी अंचल अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय की दखल कब्जा की भूमि की मापी, तदोपरांत दाखिल–खारिज संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को निदेशित करने का अनुरोध किया गया।

सासाराम अंचल अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय के कैम्पिंग ग्राउंड की भूमि की मापी, तदोपरांत दाखिल–खारिज संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को निदेशित करने का अनुरोध किया गया।

(ज) कैमूर जिले के कुदरा अंचल अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय की दखल कब्जा की भूमि की मापी, तदोपरांत दाखिल–खारिज संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को निदेशित करने का अनुरोध किया गया।

(झ) पटना जिले के सदर अंचल अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय की दखल कब्जा की भूमि की मापी, तदोपरांत दाखिल–खारिज संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को निदेशित करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त कंडिकाओं के अनुपालन हेतु निदेशक, चकबंदी द्वारा अंचल अधिकारी, बिहटा से दूरभाष पर वार्त्ता की गई तथा Air Force की जमीन की मापी एवं दाखिल–खारिज के संबंध में अंचल अधिकारी, बिहटा को 10 दिनों के भीतर मापी कराये जाने हेतु निदेश दिया गया।

उक्त के संबंध में विभाग स्तर से एक पत्र संबंधितों को निदेशित किये जाने हेतु निर्गत करने का निर्णय लिया गया तथा अधियाची विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर दाखिल–खारिज संबंधी अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

7. रक्षा मंत्रालय की वैसी भूमि जिसपर भारत सरकार अथवा कैसरे हिन्द अंकित है के लिए रक्षा मंत्रालय का नाम जुड़े जाने के संबंध में अधियाची विभाग के प्रतिनिधि को बताया गया कि नया सर्वे कार्यक्रम, जो वर्त्तमान में राज्य में संचालित है, के आलोक में अधियाची विभाग/कार्यालय द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का नाम अंकित करने हेतु सर्वे के संबंधित पदाधिकारी को आवेदन कर सकता है।

सधन्यवाद बैठक का समापन किया जाता है।

04/06/2025

(राकेश कुमार)
निदेशक, चकबंदी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–09/दा0खा0(रक्षा मंत्रा0)–XII-47/2025–1804–(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– 06/6/25

प्रतिलिपिः– प्रधान निदेशक, प्रधान निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)/General Officer Commanding, Jharkhand and Bihar sub Area, Danapur cant, Patna/रक्षा सम्पदा अधिकारी, झारखंड एवं बिहार मंडल, दानापुर छावनी/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/06/25

(सोनी कुमारी),
विशेष कार्य पदाधिकारी